उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति अधिनियम, 1962

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 19, 1962)

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति अधिनियम, 1962[1]

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 19, 1962]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 सितम्बर, 1962 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 27 सितम्बर, 1962 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेउ 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 26 नवम्बर, 1962 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 3 दिसम्बर, 1962 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

कतिपय अधिनियमों का संशोधन करके ऐसे मध्यवर्तियों के ऋणों को कम करने के लिए जिनके कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 के अधीन अर्जित कर लिये गये है, और उससे सम्बद्ध प्रयोजनों के लिए, व्यवस्था करने का

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है ;

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र ऋणविधि प्रवृत्ति अधिनियम, 1962 कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25, 1934 उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1953

2–यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 और "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952" के उपबन्ध, निहित होने के दिनांक से, नागर क्षेत्रों के सम्बन्ध में क्रमशः अनुसूची 1 और 2 में उल्लिखित परिष्कारों के साथ, इस प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों यह अधिनियम सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचिलत था ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "नागर क्षेत्र" और "निहित होने का दिनांक" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 में है ।

व्यावृत्ति यू० पी० ऐक्ट संख्या 25, 1934 उ० प्र० अधिनियम संख्या 15, 1953

3–यदि यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952" का कोई उपबन्ध, इस अधिनियम द्वारा निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किया गया हो तो, जब तक कि कोई अन्य अभिप्राय प्रतीत न हो, वह निरसन, परिवर्तन या संशोधन ––

(क) किसी ऐसी बात को फिर से प्रवर्तित न करेगा, जो उस समय प्रचलित या विद्यमान न रही हो जब कि निरसन, परिवर्तन या संशोधन प्रभावी हुआ हो,

(ख) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किसी उपबन्ध के पूर्ववर्ती प्रवर्तन पर, या तदन्तर्गत यथाविधि की गयी या हुई बात पर प्रभाव न डालेगा,

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 3 सितम्बर, 1962 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।

(ग) इस प्रकार निरस्त, परिवर्तित या संशोधित किसी उपबन्ध के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व पर प्रभाव न डालेगा,

(घ) उपर्युक्त किसी अधिकार, आगम, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के सम्बन्ध में, किसी ऐसे उपचार या किसी ऐसी जांच या वधिक कार्यवाही पर प्रभाव न डालेगा जो इस अधिनियम के प्रवर्तन में आने के पूर्व प्रारम्भ की गयी हो,

और यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952" के उपबन्धों के अनुसार उक्त किसी भी उपचार को कार्यान्वित किया जा सकता है और उक्त कोई भी जांच या वैधिक कार्यवाही जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15,1953

4–संदेह के निवारणार्थ यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम द्वारा यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 के किसी भी उपबन्ध के निरसन या संशोधन का निम्नलिखित पर प्रभाव न पड़ेगा : ––

संदेह का निवारण यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

(क) उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यू० पी० इन्कमवर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 25, [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, 1954 द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अधीन स्वीकृत किये गये किसी ऐसे बंधक का बराबर बने रहना जिसमें बन्धक की गयी संपत्ति का कब्जा बंधकधारी को सौंप दिया गया हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या 9,1957 यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934 यू० पी० ऐक्ट संख्या 13,1954

(ख) ऋणी का किसी ऐसी किस्त के भुगतान का दायित्व जिसका भुगतान उसके द्वारा किये जाने का आदेश यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 27 या 28 [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, 1954 द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अनुसार दिया गया हो, अथवा राज्य सरकार का उक्त किस्तों या उनके किसी भाग को यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 29 के अधीन मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने का अधिकार,

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934 यू० पी० ऐक्ट संख्या 13,1954 यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

(ग) यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 30 या 31 [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, 1954 द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अधीन बन्धों को जारी करने के लिए पहले ही से दिये जा चुके आदेश का प्रवर्तन या उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 के अधीन पहले ही जारी किये जा चुके किन्हीं बंधों का बराबर वैध बना रहना,

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934 यू० पी० ऐक्ट संख्या 13,1954 यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

(घ) भूमि में स्वामित्वाधिकारों (proprietary rights) का ऐसा हस्तान्तरण अथवा विक्रय जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 31, 33 तथा 34 [जो उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, 1954 द्वारा निरस्त कर दी गयी] के अधीन किया गया हो,

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934 यू० पी० ऐक्ट संख्या 13,1954

(ङ) भूमि में स्वामित्वाधिकारों के हस्तान्तरण या विक्रय के लिए यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 31, 33 तथा 34 के अधीन दिये गये किसी आदेश का प्रवर्तन जब उस आदेश के अनुसरण में स्वामित्वाधिकारों पर कब्जा, यथास्थिति, उस व्यक्ति का जिसे वे हस्तान्तरित किये गये हों या उनके क्रेता को दे दिया गया हो ; और

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

(च) वह भार जो यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 4 के अधीन प्रार्थना–पत्र दिये जाने के दिनांक के पश्चात् ऋणी की मृत्यु होने पर, अवध सेटिल्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1917 या यू० पी० इस्टेट्स ऐक्ट, 1920 में किसी बात के होते हुए भी, यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 की धारा 40 के अधीन सृजित किया गया हो।

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934 यू० पी० ऐक्ट संख्या 5,1917 यू० पी० ऐक्ट संख्या 7,1920 यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

न्यायालय और अन्य प्राधिकारी के अनुकूलन सम्बन्धी अधिकार

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

यू० पी० ऐक्ट संख्या 15,1953

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

यू० पी० ऐक्ट संख्या 15,1953

5–किसी प्रलम्बमान कार्यवाही या जांच पर इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 तथा "उत्तर प्रदेश जमीदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952" की प्रवृत्ति को अथवा इस अधिनियम द्वारा उनके संशोधन के पूर्व उक्त अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत अधिकार, विशेषाधिकार, आभार या दायित्व के प्रवर्तन को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ कोई भी न्यायालय या प्राधिकारी, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इंकमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 तथा "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952" के उपबन्धों का ऐसे परविर्तनों या परिष्कारों के साथ, जिससे मूल तत्व पर कोई प्रभाव न पड़ता हो, ऐसा अर्थ लगा सकता है जो उसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत विषय के अनुकूल बनाने के लिए आवश्यक या उचित हो ।

कठिनायों को दूर करने के अधिकार

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

यू० पी० ऐक्ट संख्या 15,1953

यू० पी० ऐक्ट संख्या 25,1934

यू० पी० ऐक्ट संख्या 15,1953

6–राज्य सरकार किसी भी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए जो यू० पी० इनकमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 अथवा "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952" के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित उक्त अधिनियमों के उपबन्धों में संक्रमण के संबंध में उत्पन्न हो, आदेश द्वारा,

(क) यथास्थिति, यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 या "उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952" इस अधिनियम के आरम्भ के पश्चात् दो वर्ष की अवधि पर्यन्त ऐसे अनुकूलन के, चाहे वह परिष्कार के रूप में हो या परिवद्धर्न या लोप के रूप में, अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जिसे राज्य सरकार आवश्यक या इष्टकर समझे ; और

(ख) ऐसे अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जो उसमें निर्दिष्ट किये जायें ।

अनुसूची 1

(धारा 2)

उत्तर प्रदेश इन्कमबर्ड इस्टेट्स (संशोधन) अधिनियम, 1954 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1954) द्वारा यथासंशोधित यू० पी० इन्कमबर्ड इस्टेट्स ऐक्ट, 1934 (यू० पी० ऐक्ट संख्या 25, 1934)

क्रम–संख्या	परिष्कार या संशोधन
1 धारा 2 में	(क) खंड (एन) और (ओ) में :––
	(1) पार्श्व में आये हुए शब्द, अक्षर और अंक "U.P. Act I of 1951" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "U.P. Act No. IX of 1957" रख दिये जायं ;
	(2) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ; और
	(3) शब्द तथा अंक "Uttar Pradesh Zamindari Abolition

and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर शब्द तथा अंक "Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिया जाय ; और

(ख) खण्ड (ओ) में कामा, शब्द और अंक, "and includes in the case of compensation, interim compensation payable under section 29 of the said Act" निकाल दिये जायें ; और

(ग) खण्ड (ओ) के पश्चात् नये खण्ड (पी) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय––

"(p) the expressions 'agricultural area', 'date of vesting' and 'urban area' shall have the meaning assigned to them in the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956."

2 धारा 9–ए में उपधारा (4) में, शब्द तथा अंक "estates under the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर शब्द तथा अंक "agricultural areas under the U. P. Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिये जाये।

3 धारा 14 में उपधारा (7) में––

(1) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुए कामा, के बीच में जहां कहीं भी वे आये हों, कामा, शब्द तथा अंक "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जाये, और

(2) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिये जाये ।

4 धारा 15 में अंक "1952" के पश्चात् शब्द तथा अंक तथा कामा "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जाये ।

5 धारा 16 में खण्ड (3–ए) में शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ।

6 धारा 18 में प्रतिबन्धात्मक खंड में––

(1) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुए कामा, के बीच में, कामा, शब्द तथा अंक "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जाये, और

(2) शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिये जाये ।

7 धारा 19 में (2) शब्द "rehabilitation grant" और शब्द "estate" के स्थान पर क्रमशः शब्द "annuity" और शब्द "agricultural area" रख दिये जाये।

8 धारा 19–ए में (क) शब्द, कामा तथा अंक "U. P. Encumbered Estates (Amendment) Act, 1954" के स्थान पर शब्द, कामा तथा अंक "Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जाये,

(ख) अंक "1952" और शब्द "applies" के बीच में कामा, अंक तथा शब्द "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जाये ।

(ग) शब्द "said Act" के स्थान पर शब्द "Act last aforesaid" रख दिये जायं, और

(घ) शब्द "rehabilitation grant" और शब्द "estate" के स्थान पर क्रमशः शब्द "annuity" और शब्द "agricultural area" रख दिये जाये ।

9 धारा 23–ए में (क) पार्श्व तथा धारा में आये हुए शब्द "rehabilitation grant" के स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय ;

(ख) शब्द "and Rehabilitation Grant Officer, as may be necessary" निकाल दिये जायं ; और

(ग) कामा, शब्द तथा अंक "section 70 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950" के स्थान पर कामा, शब्द और अंक "section 55 of the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956" रख दिया जाय ।

10 धारा 23–बी में (क) शब्द "rehabilitation grant" पार्श्व में और जहां भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "annuity" रख दिया जाय, और

(ख) अंक "1952" और तत्पश्चात् आये हुए "कामा" के बीच में कामा, शब्द तथा अंक "as amended by the Uttar Pradesh Nagar Kshettra Rin Vidhi Pravritti Adhiniyam, 1962" रख दिये जायं।

11 धारा 24 में शब्द अंक और कामा "but including proprietary rights in land in the areas which on the 7th day of July, 1949, were included in a Municipality or a Notified Area under the provisions of the U. P. Municipalities Act, 1916, or a Cantonment under the provisions of the Cantonments Act, 1924, or a Town Area under the provisions of U. P. Town Areas Act, 1914" निकाल दिये जायं ।

12 धारा 48 में शब्द तथा अंक "section 23 or section 24, section 23-B or section 24" के स्थान पर कामा, शब्द और अंक "section 23, section 23-B or section 24" रख दियें जायं ।

अनुसूची 2

(धारा 2)

उत्तर प्रदेश ज़मीदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1953 ई०)

क्रम–संख्या	परिष्कार या संशोधन
1–	**बड़े शीर्षक और प्रस्तावना में :—**
	(क) पार्श्व में जहां भी शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम 1, 1951" आये हों उनके स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1957" रख दिये जायं,
	(ख) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, और
	(ग) जहां भी शब्द तथा अंक "1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" आयें हों, उन के स्थान पर शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956" रख दिये जायें ।
2–	**धारा 2 में (क) खंड (ग) के पश्चात् नये खंड (गग) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायें :—**
	"(गग) किसी कृषि क्षेत्र के संबंध में "निहित होने का दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति में उस क्षेत्र के संबंध में निहित होने के दिनांक के रूप में निर्दिष्ट किया गया हो,"
	(ख) खंड (च) में अंक तथा शब्द "1 जुलाई, 1952" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें,
उत्तर प्रदेश	(ग) खंड (छ) के स्थान, पर निम्नलिखित रख दिया जाय :——
अधिनियम सं० 9, 1957	"(छ) "कृषि क्षेत्र, "वार्षिक वृत्ति", "प्रतिकर" तथा "नागर क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 में है",
	(घ) खंड (ट) में जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें ; तथा
	(ङ) खंड (ड) में जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें ।
3–	**धारा 3 में (क) उपधारा (2) में——**
	(1) पार्श्व में आये हुए शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम 1, 1951" के स्थान पर शब्द, अक्षर तथा अंक "उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957" रख दिये जायें,
	(2) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें,
	(3) अक्षर, शब्द तथा अंक "1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" स्थान पर अक्षर, शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956" रख दिये जायें, और
	(4) जहां भी शब्द, अक्षर तथा अंक "30 जून, 1952" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें, तथा

(ख) उपधारा (3) में––

(1) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा

(2) जहां भी शब्द तथा अंक "30 जून, 1952" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें।

4– धारा 4 में (क) उपधारा (2) में––

(1) पार्श्व में आये हुए शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश अधिनियम 1, 1951" के स्थान पर शब्द, अक्षर और अंक "उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957" रख दिये जायें,

(2) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें,

(3) शब्द अक्षर, शब्द तथा अंक "1950 ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम" के स्थान पर, शब्द तथा अंक "उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956" रख दिये जायें,

(4) अंक तथा शब्द "30 जून, 1952" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें, तथा

(5) जहां भी अंक तथा शब्द "1जुलाई, 1952" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें, तथा

(ख) उपधारा (3) में––

(1) जहां भी शब्द "आस्थान" आया हो, उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें,

(2) अंक तथा शब्द "1 जुलाई, 1952" के स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक" रख दिये जायें, तथा

(3) जहां भी शब्द तथा अंक तथा शब्द "30 जून, 1952" आयें हों उनके स्थान पर शब्द "निहित होने के दिनांक से ठीक पहले के दिनांक" रख दिये जायें ।

5– धारा 5 में (क) शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा

(ख) प्रतिबन्धात्मक खंड तथा स्पष्टीकरण निकाल दिये जायें ।

6– धारा 6 में (क) उपधारा (1) जहां भी शब्द "आस्थान", आया हो उसके स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा

(ख) उपधारा (2) में, शब्द "आस्थानों" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें ।

7— धारा 8 में (क) जहां भी शब्द "आस्थान" तथा "आस्थानों", आये हो, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "कृषि क्षेत्र" तथा "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें,

(ख) पार्श्व शीर्षक में तथा जहां भी शब्द "पुनर्वासन अनुदान" आये हो उनके स्थान पर शब्द "वार्षिक वृत्ति" रख दिये जायें,

(ग) शब्द "अनुदान" के स्थान पर शब्द "प्रत्येक वर्ष में देय वार्षिक वृत्ति" रख दिये जायें ।

8— धारा 9 में शब्द "उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (bonds) की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय" के स्थान पर शब्द "उसके कृषि क्षेत्र के लिए प्रतिकर के रूप में दिये गये बन्धों की कुर्की या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय अथवा उसकी वार्षिक वृत्ति की कुर्की करके निष्पादित की जाय" रख दिये जायें।

9— धारा 10 में शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें ।

10—अनुसूची 1 में (क) पैरा 1 में दिये हुए सूत्र में अंक "8" के स्थान पर अंक "16" रख दिया जायं,

(ख) पैरा 2 की मद (2) के खंड (क) में शब्द "आस्थान" के स्थान पर शब्द "कृषि क्षेत्र" रख दिये जायें, तथा

(ग) पैरा 2 की मद (3) में जहां भी शब्द "आस्थान" तथा शब्द "आस्थानों", आये हो, उनके स्थान पर क्रमशः शब्द "कृषि क्षेत्र" तथा शब्द "कृषि क्षेत्रों" रख दिये जायें ।

11—अनुसूची 2 में (क) शब्द "अंकित मूल्य" तथा शब्द "के प्रत्येक रूपये" के बीच में शब्द "या कुर्क की गयी वार्षिक वृत्ति" बढ़ा दिये जायें, तथा

(ख) अंक "8" के स्थान पर अंक "16" रख दिया जायं ।